(1)

संख्याः – 379 / II–2008–03(13) / 2004

प्रेषक,

दमयन्ती वोहरे,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग   देहरादूनः दिनांक 25 मार्च, 2008

विषयः– त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 एवं **2006–07 में स्वीकृत कलस्टर में विवादित योजना के स्थान पर नयी योजनाओं की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 526 / ल0सिं0 / ए0आई0बी0पी0 / 2006–07 दिनांक 23.12.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 1210 / II–2005–04(02) / 04 दिनांक 28.11.2005 के संलग्नक के जनपद अल्मोड़ा के क्र0सं0 33, 35, 59 एवं 63 तथा जनपद उत्तरकाशी के क्र0सं0 434, 451, 456, 459 एवं 460 पर उल्लिखित कलस्टर में विवादित उपयोजनाओं (संलग्नक के कालम–5 पर अंकित योजनायें) को निरस्त करते हुए संलग्नक के कालम–7 पर अंकित योजनाओं, जिनकी लागत रू0 54.50 लाख (रूपये चौवन लाख पचास हजार मात्र) है, की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशो का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

2– अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।

3– अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में ली गयी लीड दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

4– कार्य सम्पादित कराते समय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

5– इन योजनाओं का वित्त पोषण शासनादेश सं0 1210 / II–2005–04(02) / 2004 दिनांक 28.11.2005 के संलग्नक के जनपद अल्मोड़ा के क्र0सं0 33, 35, 59 एवं 63 तथा जनपद उत्तरकाशी के क्र0सं0 434, 451, 456, 459 एवं 460 पर उल्लिखित कलस्टर में विवादित उपयोजनाओं (संलग्नक के कालम–5 पर अंकित योजनायें) के लिए स्वीकृत धनराशि से ही किया जायेगा और इस शासनादेश के द्वारा इन योजनाओं के लिए कोई व्यय की स्वीकृति नहीं दी जा रही है, केवल प्रशासनिक स्वीकृति ही दी जा रही है।

6– धन की उपयोगिता का प्रमाण पत्र कार्यवार व्यय विवरण के साथ उपलब्ध कराया जाय।

7– योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

क्रमशः..............2

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 549 (P)/XXVII–4 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव।

संख्याः – 379/II–2008–03 (13)/2004/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सीनियर ज्वाइट कमिशनर (एम0आई0) जल संसाधन, मंत्रालय, 106 बी0 शास्त्री भवन नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–4), उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. कोषाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उत्तरकाशी।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल हेतु।

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0 379 / II–2008–03(13) / 2004 दिनांक 25 मार्च, 2008 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	कलस्टर का नाम	विवादित उपयोजना	स्वीकृत धनराशि	विवादित उप योजना के स्थान पर प्रस्तावित उपयोजना का नाम	प्रस्तावित उपयोजना की प्राक्कलित लागत	टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि
1.	अल्मोड़ा	धौलादेवी	खोला	कुना पोखरी	8.405	1 मतौली	8.406	7.60
		भैसियाछाना	नैनाखोला अलई	1.मनतोला विस्तार	2.394	1 भेंप	2.401	2.18
				2.गेरूवा गधेरा	1.38	2 इनगाड़ विस्तार	1.376	1.24
		द्वाराहाट	चुन्दरखाल	हाईड्रम नीलाकोट	9.85	1. नीलाकोट	6.30	6.30
						2 दरमाड़	3.55	3.55
		स्याल्दे	भरसौली	1.भरसौली	3.263	1. सीम गांव	4.33	3.29
				2.लालनगरी	3.354	2 ससखेत	2.42	2.25
				3.ऊणालिया सीन	2.28	3. नहर मैर	3.581	3.19
				4.सीमल चौरा	3.456	4 घुघुती	1.994	1.98
						5. तल्ला गजार	2.392	1.63
	योग अल्मोड़ा				34.402		36.75	33.21
2	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	टकनौर	गुड़ना	3.04	परिगांव तोक उतरों	3.04	3.04
		डुण्डा	गेंवलाभण्डारस्यूं	1.नेडखाला हरेती	1.45	1.बजी तोक पैथर	0.65	0.65
				2.हौदाविल पनियाला से नागराज	0.96	2.तुलतुली तोक मटवाड़ी धनारी	0.96	0.95
			खुरमोला	1.सिलवानी पानी मरोल	2.10	नगल सैण	3.47	3.46
				2.कुटिया तोक	1.37			
			धाती	1.जोयक तोक	1.07	1.खोड़ा तोक फटूड़ी विस्तार	0.65	0.65
				2.मिश्र गांव तोक	1.93	2.ग्योनाटी विस्तार	3.86	3.84
				3.मथी क्यारक नम तोक	1.84	3.खनाक तोक सोद	2.05	2.04
				4.काफल तोक	3.89	4 जेमर विस्तार	2.56	2.55
				5.सेरा तोक	1.46			
				6.खुलुण्डा तोक	1.93			
			गाजा–I	1.गणवाती	0.91	1. उडरी	1.22	1.21
				2.दुमड्डा तोक थर्द	1.46	2 भडकोट विस्तार	1.22	1.21
				3.मुण्डेठा से लोखरियाल	2.86	3.लमदनी तोक मट्टी	1.70	1.69
				4.चड़वाड नाड से गडखटी	2.48			
				5.सिरावोली तोक न्यूगांव	0.70			
				6.थाडेन तोक–I	1.47			
				7.गोदी तोक	0.98			
	योगउत्तरकाशी				31.90		21.38	21.29
	महायोग				66.302		58.13	54.50

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव